संख्या 15 /2019/ 3445 /अड़तीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-5

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक - 26 नवम्बर , 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत राज्य सरकार को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का पत्र संख्या- 874/ डब्लू-409(IV) /2018-19 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 एवं जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के स्वीकृति आदेश संख्या- जी-11011/5/2019-वाटर-I/18, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि ₹ 47356.84 लाख के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्राप्त केन्द्रांश में से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 314.38 लाख शासनादेश संख्या 11/2019/3087/38-5-2019-8 बजट 2018 टी.सी.-5 दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू 2192.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है एवं रू0 307.33 लाख की धनराशि अवशेष है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष में से अनुदान संख्या -81 में उपलब्ध अवशेष ₹ 307.33 लाख (रूपये तीन करोड सात लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक/ कैटेगरी	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश् के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल राज्यांश	स्वीकृत राज्यांश
1	2	3			4
अनुदान संख्या-81	Normal Programme (for providing functional tap connection to every rural house hold) -STC	314.38	314.38	314.38	307.33
	योग				307.33

(रूपये तीन करोड सात लाख तैतीस हजार मात्र)

(I) आंकड़ों की शुद्धता व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के निर्देशानुसार धनराशि के आहरण/ व्यय के अनुपालन का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(II) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(III) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/ दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशें का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/ व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(VI) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पूर्व में सपोर्ट एवं डब्लू0क्यू0एम0 एण्ड एस0 मद में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत जारी धनराशि के निर्धारित अनुमन्यता स्तर तक समायोजन के बारे में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित हेाता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों मे निर्धारित क्रय पक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/ उपयोग में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(X) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(XI) धनराशि के आहरण / व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XII) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/ 2019/ बी-1-170/ दस-2019-231/ 2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अधीन तथा केन्द्रांश स्वीकृत विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या- जी-11011/5/2019-वाटर-I/18, दिनांक 28 अगस्त, 2019 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

(XIV) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के नोडल S.N.A. (Singal Nodal Account) में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी। जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सुसंगत मदों में वित्तीय उपयोगिता सुनिश्चित करायेंगे।

(XV) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो सम्पूर्ण विवरण / तथ्यों सहित शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(XVI) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2-950 (i) /दस-2019 दिनांक 22 नवम्बर 2019 के अन्तर्गत् जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 15 /2019/345 (1)/अट्ठतीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-5 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) अनु सचिव (जल), जल शक्ति मंत्रालय,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पं0 दीन दयाल अंत्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2019 के क्रम में।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।